न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम्, औरंगाबाद।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–1758/2026
मदनपुर थाना कांड संख्या–223/2026
पिंटु चौधरी उर्फ पिंटु कुमार बनाम राज्य

Date	Order	Remark

17.08.2026

FIR Details	Madanpur P.S. case no.-223/2026, dated 02.06.2026, u/s 317(5), 318(2), 338, 336(3), 340(2), 61(2) B.N.S.
Details of Custody	Not available.
Current State of trial	Investigation is in progress.
Criminal antecedents	Not available.
Previous Bail Details	No any other bail petition filed before this or higher court.
Details of Coercive Processes	Information not available.
Maximum punishment prescribed for aforesaid sections	Life imprisonment.

आवेदक पिंटु चौधरी उर्फ पिंटु कुमार के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दखिल अग्रिम जमानत याचिका सं0–1758/2026, दिनांक 09.07.2026 आज सुनवाई एवं आदेश हेतु प्रस्तुत। यह अग्रिम जमानत याचिका मदनपुर थाना काण्ड सं0–223/2026, दिनांक 02.06.2026, अंतर्गत धारा 317(5), 318(2), 338, 336(3), 340(2), 61(2) भा. न्या.सं. में नामजद अभियुक्त पिंटु चौधरी उर्फ पिंटु कुमार की गिरफ्तारी की आशंका उत्पन्न होने के आधार पर दाखिल किया गया है। अग्रिम जमानत आवेदन की एक प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक को प्रदान किया गया। इस मुकदमे से संबंधित केस डायरी अभिलेख पर संलग्न है।

2. आवेदक पिंटु चौधरी उर्फ पिंटु कुमार के द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन में उल्लेखित तथ्यों की सत्यता के संदर्भ में शपथ पत्र दाखिल किया गया है।

3. वाद पुकारा गया। उभय पक्ष उपस्थित। अग्रिम जमानत याचिका को चालित करते हुए आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस किया गया कि आवेदक के द्वारा इस न्यायालय अथवा किसी अन्य वरीय न्यायालय में जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक पूर्णतया निर्दोष है तथा आवेदक के द्वारा जैसा कि प्राथमिकी में वर्णित है, वैसा अपराध कारित नहीं किया गया है। आवेदक को इस मुकदमे में झूठा फंसाया गया है। आवेदक स्कार्पियो वाहन सं0–DL4CNB4761 का मालिक है। उसने उक्त वाहन को घोरहट गांव के नीरज विश्वकर्मा से खरीदा है। आवेदक को उक्त वाहन की चोरी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। आवेदक न्यायालय द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुरूप बंधपत्र दाखिल करने के लिए तैयार है। अतः अग्रिम जमानत की सुविधा दी जाए।

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम्, औरंगाबाद।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–1758/2026
मदनपुर थाना कांड संख्या–223/2026
पिंटु चौधरी उर्फ पिंटु कुमार बनाम राज्य

17.08.2026 लगातार	4. विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुए बहस किया गया कि केस डायरी में दर्ज साक्षियों के बयान से अभियुक्त की घटना में संलिप्तता का पर्याप्त साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध है। अतः अग्रिम जमानत का आधार पर्याप्त नहीं है। अग्रिम जमानत याचिका अस्वीकृत किया जाए। 5. उभय पक्ष को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि पु0अ0नि0 रोहित कुमार के द्वारा थानाध्यक्ष, मदनपुर के समक्ष टंकित आवेदन दाखिल किया गया कि दिनांक 02.06.2026 को समय करीब 17:50 बजे पु0नि0–सह–थानाध्यक्ष राजेश कुमार साथ परि0पु0अ0नि0 सुमंत कुमार, परि0पु0अ0नि0 स्नेहा भारती एवं सशस्त्र बल के सिपाही आशीष कुमार एवं गृह रक्षक धर्मवीर कुमार के साथ सरकारी वाहन से अपर पुलिस महानिदेशक महोदय के आदेश के आलोक में अपराध नियंत्रण एवं अवैध आगनेय शास्त्र/मादक पदार्थों की बरामदगी हेतु विशेष वाहन चेंकिग हेतु थाना से प्रस्थान किया तथा समय करीब 18:00 बजे जी.टी. रोड एन.एच.–19 खिरियावा मोडत्र के पास वाहन चेक करने के दौरान समय करीब 20:25 बजे एक उजला रंग का स्कार्पियो आता दिखाई दिया। जांच करने हेतु बल के सहयोग से रूकने का इशारा किया तो वाहन चालक द्वारा वाहन रोका गया। तत्पश्चात् वाहन चालक से नाम–पता पूछने पर अपना नाम सिंटु कुमार, उम्र करीब 25 वर्ष, पिता–राजेंद्र चौधरी, निवासी सा0–चौधरी विगहा बेरी, थाना–सलैया, जिला–औरंगाबाद बताया। ड्राईविंग लाईसेंस मांगने पर उनके द्वारा बताया गया कि अभी ड्राईविंग लाईसेंस नहीं बनवाए है। चालक से उनके वाहन का कागजात मांगने पर आर.सी. कार्ड प्रस्तुत किया, जिसपर रजि0 नं0–DL4CNB4761, चेचिस नं0–MA1TA2HANA2B22260 तथा इंजन नं0–HAA4B13051 नाम प्रवीन कुमार, पिता–नन्दु शर्मा, पता–465 गली नं0–04 राजवीर कॉलोनी ओल्ड कोंडली ईस्ट दिल्ली 110096 लिखा पाया। तत्पश्चात् गाड़ी मालिक के बारे में पूछने पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिए जिसके बाद गाड़ी का बोनट खोलकर देखने पर एल्युमिनियम प्लेट पर चेचिस नं0–MA1TA2HANA2B22260 तथा इंजन नं0–HAA4B13051 पाया गया। परंतु उक्त गाड़ी के चेचिस के ऊपर चेचिस नं0–MA1TA2MJNC2A16418 अंकित पाया। प्रस्तुत किए गए आर.सी. कार्ड एवं चेचिस पर अंकित चेचिस नं0 में भिन्नता होने के कारण चालक सिंटु कुमार से कड़ाई से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि यह गाड़ी उनके बड़े भाई पिंटु चौधरी ने मदनपुर घोरहत मोड़ के पास रहने वाले नीरज विश्वकर्मा, पिता–छोटन विश्वकर्मा से खरीदा। सिंटु कुमार से अपने बड़े भाई पिंटु चौधरी को बुलाने को कहा तो उनके द्वारा बताया गया कि पिंटु चौधरी राजगीर गए हुए हैं। अभी नहीं आ सकते है। तत्पश्चात् मदनपुर के नीरज विश्वकर्मा की	

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम्, औरंगाबाद।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–1758/2026
मदनपुर थाना कांड संख्या–223/2026
पिंटु चौधरी उर्फ पिंटु कुमार बनाम राज्य

17.08.2026 लगातार	खोजबीन की गई तो वह घर पर नहीं पाए गए, जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त गाड़ी चोरी की है। उपरोक्त तीनों के द्वारा षड्यंत्र के द्वारा जालसाजी कर चेचिस नं0 की कुटरचना कर प्रयोग किया जा रहा है। तत्पश्चात् उक्त स्कार्पियो वाहन को जप्त करने हेतु दो स्वतंत्र साक्षी का खोजबीन किया। परंतु कोर्ट–कचहरी का हवाला देते हुए आस–पास मौजूद कोई भी व्यक्ति साक्षी बनने को तैयार नहीं हुए तो साथ के बल के सिपाही आशीष एवं गृह रक्षक धर्मवीर कुमार को स्वतंत्र साक्षी बनाते हुए ई–साक्ष्य पर विडियोग्राफी करते हुए विधिवत जप्ती सूची बनाते हुए उक्त उजला रंग का स्कार्पियो गाड़ी जिसके आगे–पीछे नं0 प्लेट DL4CNB4761 लिखा हुआ तथा बोनट खोलकर देखने पर एल्युमिनियम प्लेट पर चेचिस नं0–MA1TA2HANA2B22260 तथा इंजन नं0–HAA4B13051 अंकित तथा चेचिस के ऊपर चेचिस नं0–MA1TA2MJNC2A16418 अंकित, को जप्त किया तथा उजला रंग का प्लास्टिक का आर.सी. कार्ड जिसपर रजि0 नं0–DL4CNB4761 चेचिस नं0–MA1TA2HANA2B22260 तथा इंजन नं0–HAA4B13051 नाम प्रविन कुमार पिता नन्दु शर्मा पता–465 गली नं0–04 राजवीर कॉलनी ओल्ड कोंडली ईस्ट दिल्ली 110096 लिखा हुआ को जप्त किया। तत्पश्चत चालक सिन्टु कुमार उम्र 25 वर्ष पिता–राजेन्द्र चौधरी सा0–चौधरी विगहा बेरी थाना–सलैया जिला–औरंगाबाद को चारी की गाड़ी का चेचिस नम्बर को बदलकर प्रयोग करना एक संज्ञेय अपराध है के आरोप में विधिवत गिरफ्तार सिन्टु कुमार उम्र करीब 25 वर्ष पिता–राजेन्द्र चौधरी सा0–चौधरी विगहा बेरी थाना–सलैया जिला–औरंगाबाद साथ थाना लाया। सूचक रोहित कुमार के टंकित आवेदन के आधार पर मदनपुर थाना काण्ड सं0–223/2026, दिनांक 02.06.2026, अंतर्गत धारा 317(5), 318(2), 338, 336(3), 340(2), 61(2) भा.न्या.सं. के तहत अभियुक्त सिन्टु कुमार सहित कुल 03 अभियुक्तों के विरूद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। 6. संलग्न केस डायरी का अवलोकन किया। संलग्न केस डायरी में उल्लेखित वादी के पुनः बयान के अनुसार– अभियुक्त सिंटु कुमार उर्फ सिंटु चौधरी का ड्राईविंग लाईसेंस नहीं पाया गया तथा जप्त वाहन का कागजात मांगने पर जो कागजात प्रस्तुत किया गया, उसमें रजि0 नं0–DL4CNB4761, चेचिस नं0–MA1TA2HANA2B22260 तथा इंजन नं0–HAA4B13051 अंकित पाया गया तथा वाहन स्वामी का नाम प्रवीन कुमार, पिता–नन्दु शर्मा, पता–465 गली नं0–04 राजवीर कॉलोनी ओल्ड कोंडली ईस्ट दिल्ली 110096 पाया गया। गाड़ी का बोनट खोलकर देखने पर एल्युमिनियम प्लेट पर चेचिस नं0–MA1TA2HANA2B22260 तथा इंजन नं0–HAA4B13051 पाया गया। परंतु उक्त गाड़ी के चेचिस के ऊपर चेचिस नं0–	

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम्, औरंगाबाद।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–1758 / 2026
मदनपुर थाना कांड संख्या–223 / 2026
पिंटु चौधरी उर्फ पिंटु कुमार बनाम राज्य

17.08.2026 लगातार	MA1TA2MJNC2A16418 अंकित पाया गया। चालक द्वारा प्रस्तुत आर.सी. कार्ड पर अंकित चेचिस नं0 तथा गाड़ी के चेचिस नं0 में असमानता पाई गई। पूछताछ में चालक / अभियुक्त सिंटु कुमार ने बताया कि उसका बड़ा भाई पिंटु चौधरी यह गाड़ी नीरज विश्वकर्मा से खरीदा है। नीरज विश्वकर्मा की खोजबीन की गई तो वह अपने घ ार में नहीं पाए गए। इस साक्षी के कथन का समर्थन सिपाही आशीष कुमार तथा होमगार्ड धर्मेंद्र कुमार ने भी किया है। केस डायरी के पैरा 26 में दर्ज तथ्यों के अनुसार– जिला परिवहन कार्यालय से सत्यापन करने पर रजि0 नं0–DL4CNB4761, चेचिस नं0– MA1TA2HANA2B22260 तथा इंजन नं0–HAA4B13051 के वाहन स्वामी प्रवीन कुमार, पिता–नन्दु शर्मा, पता–465 गली नं0–04 राजवीर कॉलोनी ओल्ड कोंडली ईस्ट दिल्ली 110096 पाया गया तथा एल्युमिनियम प्लेट पर चेचिस नं0–MA1TA2HANA2B22260 तथा इंजन नं0–HAA4B13051 के स्वामित्व का सत्यापन जिला परिवहन कार्यालय से किया गया तो पाया गया कि उक्त चेचिस नं0 के वाहन का रजि0 नं0–JH05AN1312 है तथा जिसका इंजन नं0–MJC4A45477 है तथा इस वाहन स्वामी का नाम प्रभाकर कुमार, पिता–अरविंद कुमार सिंह, पता–नंदापत्ती बेनीपुर दरबंघा, निवासी ग्राम–भारत गौर स्थित डंगा भिलाई पहाड़ी, थाना–MGM,JSR जिला–पूरबी सिंहभूम, राज्य–झारखण्ड, पाया गया। रजि0 नं0–DL4CNB4761, के वाहन स्वामी प्रवीन कुमार से उसके मोबाईल नं0–9990521627 पर सम्पर्क किया गया तो उसने बताया कि हम अपनी गाड़ी स्कार्पियो, रजि0 नं0–DL4CNB4761, को नीरज कुमार, पिता–अशोक विश्वकर्मा, ग्राम–मदनपुर, थाना–मदनपुर, जिला–औरंगाबाद, को बेच दिए। केस डायरी के पैरा 25 के अनुसार– नीरज कुमार से पूछताछ किया गया तो नीरज कुमार को, जो प्रवीन कुमार से खरीदा था, पुनः पिंटु कुमार, पिता–राजेंद्र चौधरी, निवासी सा0–चौधरी विगहा बेरी, थाना–सलैया, जिला–औरंगाबाद, को बेच दिया। इसके संदर्भ में स्टाम्प पेपर पर लिखा हुआ वाहन के खरीद–बिक्री का करार की छायाप्रति अभिलेख पर संलग्न है। संलग्न करार दस्तावेज के अनुसार– वाहन रजि0 नं0–DL4CNB4761, के वाहन स्वामी के द्वारा दिनांक 30.12.2022 को स्कार्पियो गाड़ी का ट्रांसफर नीरज कुमार, पिता–अशोक कुमार को किया गया। उस करार में स्कार्पियो गाड़ी का चेचिस नं0–MA1TA2HANA2B22260 तथा इंजन नं0–HAA4B13051 अंकित है। साथ ही नीरज कुमार के द्वारा इस वाहन को दिनांक 07.01.2025 को पिंटु कुमार, पिता–राजेंद्र चौधरी को ट्रांसफर किया गया। इस करार के अनुसार भी नीरज कुमार ने जो गाड़ी पिंटु कुमार को ट्रांसफर किया, उस गाड़ी का चेचिस नं0–MA1TA2HANA2B22260 तथा इंजन नं0–HAA4B13051 होना पाया गया। इससे यह स्पष्ट है कि पिंटु कुमार को जो वाहन नीरज कुमार से मिला उसका	

17.08.2026 लगातार	चेचिस नं0 मूल पंजीकृत प्रमाण पत्र के अनुसार था। परंतु जो वाहन सिंटु कुमार के कब्जे से पकड़ा गया, उसपर कोई अन्य चेचिस नं0–MA1TA2MJNC2A16418 अंकित पाया गया। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि वाहन के चेचिस नं0 में हेर–फेर पिंटु कुमार के द्वारा किया गया। कथित वाहन के मूल स्वामी प्रवीन कुमार हैं। परंतु पक्षकरों के द्वारा मोटरसाईकिल वाहन अधिनियम के अनुसार स्वामित्व का स्थानांतरण नहीं कराया गया। 7. उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर न्यायालय का अभिमत है कि आवेदक के द्वारा वाहन के चेचिस नं0 की कूटरचना कर वाहन को सार्वजनिक स्थान पर प्रयोग में लाया जा रहा था। आवेदक के विरूद्ध घटना में संलिप्तता का प्रथम दृष्टया साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध है। अग्रिम जमानत का आधार पर्याप्त नहीं है। अतः अग्रिम जमानत याचिका अस्वीकृत किया जाता है। लेखापित (उमेश प्रसाद) जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम् व्यवहार न्यायालय, औरंगाबाद।	